



संख्या - 170/2026/1085/35-4-2026/35-4099/382/2021

प्रेषक,
राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
बलिया।

नियोजन अनुभाग- 4

लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई, 2026

विषय - जनपद बलिया में वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-651/त्व0आ0वि0यो0/2021-22, दिनांक 12 मई, 2026 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद- बलिया में सड़क निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत 07 कार्यों में से 01 कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद- बलिया में सड़क निर्माण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-494/2021/2403/35-4-2021, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत 07 कार्यों में से 01 कार्य (शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 के क्रमांक-3 पर अंकित) की रू० 31.37 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू० 15.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

3- अतः उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत 01 कार्य के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का व्यय होना इंगित करते हुए अनुबन्ध पर हुयी बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू० **12.33 लाख (रूपये बारह लाख तैंतीस हजार मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत (जीएसटी सहित) (धनराशि रू०)	निविदा लागत (धनराशि रू०)	अन्य मदों (धनराशि रू०)	निविदा उपरान्त कार्य की लागत (12 प्रतिशत जी.एस.टी.सहित) (धनराशि रू०)	कुल बचत (धनराशि रू०)	प्रथम किस्त में अवमुक्त धनराशि (रू० में)	अवमुक्त धनराशि (रू० लाख में)
1	ग्राम नगपुरा में सी०सी०	3137000.00	2440330.58	292839.67	2733170.25	403829.75	1500000.00	12.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सड़क, नाली निर्माण ए वं लेपन कार्य।						
---	--	--	--	--	--	--

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
 2. प्रश्नगत कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
 3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि व्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
 4. कार्यो को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
 5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात् 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
 7. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू० **12,33,000/- (रूपये बारह लाख तैंतीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्ष-5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या - 170 /2026/1085/35-4-2026/35-4099/382/2021, तद्दिनांक ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ० प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ० प्र० शासन।
6. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7. मंडलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल।
8. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग।
9. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलिया।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त विभाग, बलिया।
14. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।